श्रीमान् पीओ साहब द्वारा पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय ..... पर ..... के निर्देश प्रदान किये गये है। निर्देशों के ..... पत्रावली के समस्त पक्षकारान को ..... सूचना पत्र सूचित किए जावें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही ग्राम पंचायत ..... में दिनांक 3/12/21 को पेश हो।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ..... में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सूचना पत्र बाद/अदम तामील प्राप्त हुए है। जो शा. फा. है। पत्रावली में आवश्यक पक्षकारान हाजिर/नहीं। पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्रावली वास्ते ..... दिनांक 15/12/21 को न्यायालय में पेश हो।

15/12/21

..... हाजिर
श्रीमान् पीओ साहिब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरा कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ..... दिनांक 3/2/22 को पेश हो।

3/2/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरा कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ..... दिनाक 20/4/22 को पेश हो।

20/4/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरा कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ..... दिनाक 16/6/22 को पेश हो।

16/6/22 पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी हाजिर नहीं अधि० प्रार्थी हाजिर नहीं आने से अधि० प्रार्थी को न्यायालय समय समाप्ति तक इंतजार कर अवकाश लाभार्थ रखा, किन्तु हाजिर नहीं पेश। तिथवी में अधि० प्रार्थी का प्रा० प० अनादेश धारा 312 RTA 1956 का अदम पेशी। अदम धारा 312 RTA 1956 में खारिज किया जाता है। पत्रावली की लम्बित निर्णीत इन्द्राज की जाकर बाद की लम्बित निर्णीत अभिलेखागार भेजी जावे। आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
16/6/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.06.29 12:41:07 IST
Reason: SelfAttested